पंचायत निगरानी सं0 165/2025 (2025/256)
166/2025 (2025/257)
167/2025 (2025/238)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 165/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/256)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी :–

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपूत निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्ता:–

1. ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति, लूणी, जिला जोधपुर।
2. पुनाराम पुत्र हमीर राम देवासी निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 94, दिनांक 07.11.1999, मिसल सं. 79/99–2000, जो ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी सं.– 166/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/257)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी :–

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपूत निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्ता:–

1. ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति, लूणी, जिला जोधपुर।
2. तेजाराम पुत्र हमीर राम देवासी निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 92, दिनांक 07.11.1999, मिसल सं. 80/99–2000, जो ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी सं.– 167/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/238)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी :–

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपूत निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्ता:–

1. ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति, लूणी, जिला जोधपुर।
2. आदुराम पुत्र हमीर राम देवासी निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 93, दिनांक 07.11.1999, मिसल सं. 78/99–2000, जो ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह तापू (प्रार्थी की ओर से)।
2. अप्रार्थीगण सं. 02 नोटिस तामिल बावजूद न तो स्वयं तथा न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

1. उपर्युक्त तीनों निगरानियां राजस्थान पंचायतीराज एक्ट 1994 की धारा 97 के तहत दिनांक 08.07.2024 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा, पंचायत समिति लूणी द्वारा जारी पट्टों को निरस्त करने हेतु याची सुरेन्द्र सिंह द्वारा पेश की गई है, जो स्थानांतरित होकर इस

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 29.01.2025 को दर्ज रजिस्टर की गई। तीनों निगरानी याचिकाओं में समान प्रकार का विवाद, समान तथ्य व समान अंतर्वलित विधिक प्रश्न निहित होने से से एक ही निर्णय से न्याय निर्णयन किया जाकर निस्तारित किया जाना, इस न्यायालय की राय में उचित होने से, इन्हे एकजाई (कंसोलिडेट) किया जाकर, निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति, प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

2. निगरानी सं. 32/2024 (165/2025) ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी पट्टा सं. 94 दिनांक 07.11.1999, मिसल सं. 79/99–2000, पट्टा रजिस्टर सं. 35, प्रारूप 23 (5000 वर्गफुट) को खारिज करने हेतु पेश की गई है (पट्टाधारी पुनाराम पुत्र हमीरराम देवासी)।
3. निगरानी सं. 34/2024 (166/2025) ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी पट्टा सं. 92 दिनांक 07.11.1999, मिसल सं. 80/99–2000, पट्टा रजिस्टर सं. 35, प्रारूप 23 (5000 वर्गफुट) को खारिज करने हेतु पेश की गई है (पट्टाधारी तेजाराम पुत्र हमीरराम देवासी)।
4. निगरानी सं. 33/2024 (167/2025) ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी पट्टा सं. 93 दिनांक 07.11.1999, मिसल सं. 78/99–2000, पट्टा रजिस्टर सं. 35, प्रारूप 23 (5000 वर्गफुट) को खारिज करने हेतु पेश की गई है (पट्टाधारी आदुराम पुत्र हमीरराम देवासी)।
5. निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 1 सरपंच स्वयं पर नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित है। अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली सं. 165/2025 में पुनाराम के पुत्र ने नोटिस प्राप्त किया है, परंतु स्वयं या पुनाराम की ओर से किसी ने उपस्थिति नहीं दी है, अतः एक तरफा कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार प्रकरण सं. 166/2025 में तेजाराम की ओर से श्री सी.पी. सोनी वगैरा अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया है। प्रकरण सं. 167/2025 में आदुराम की ओर से पुत्र पुखराज ने दिनांक 11.07.2024 को नोटिस प्राप्त किया है, परंतु आदुराम की ओर से किसी भी अधिवक्ता या स्वयं द्वारा उपस्थिति नहीं दी है। अतः आदुराम के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किये जाते है।
6. तीनों प्रकरणों में ग्राम पंचायत शिकारपुरा व कांकाणी से आक्षेपित पट्टों से संबंधित मिसल, पट्टा बुक व ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही का रजिस्टर तलब किया गया।

(अ)ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने पत्रांक 118 दिनांक 11.08.2025 से इस न्यायालय को सूचित किया कि पट्टा सं. 94 मिसल सं. 79/99–2000, संकल्प सं. 2 दिनांक 07.10.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

1999, जारी दिनांक 07.11.1999 (पुनाराम के नाम) से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत शिकारपुरा में उपलब्ध नहीं है।

(ब)ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने पत्रांक 116 दिनांक 11.08.2025 से इस न्यायालय को सूचित किया कि पट्टा सं. 92 मिसल सं. 80/99–2000, संकल्प सं. 2 दिनांक 07.10.1999, जारी दिनांक 07.11.1999 (तेजाराम के नाम) से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत शिकारपुरा में उपलब्ध नहीं है।

(स)ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने पत्रांक 117 दिनांक 11.08.2025 से इस न्यायालय को सूचित किया कि पट्टा सं. 93 मिसल सं. 78/99–2000, संकल्प सं. 2 दिनांक 07.10.1999, जारी दिनांक 07.11.1999 (आदुराम के नाम) से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत शिकारपुरा में उपलब्ध नहीं है।

7. निगरानीकार की ओर से इस न्यायालय द्वारा पंचायत

a) निगरानी सं. 39/2019 (नरेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत शिकारपुरा वगैरा) में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2020 की फोटो प्रति फॉर्म सं. 3 में पेश की।

b) इसी प्रकार निगरानी सं. 40/2019 (नरेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत शिकारपुरा वगैरा) में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2020 की फोटो प्रति पेश की।

c) इसी प्रकार निगरानी सं. 41/2019 (नरेन्द्र सिंह बनाम ग्राम पंचायत शिकारपुरा वगैरा) में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2020 की फोटो प्रति पेश की।

d) इसी प्रकार ग्राम कांकाणी के ख.नं. 794 रकबा 16.4905 हैक्टर, गै.मु. मगरा की जमाबंदी खाता सं. 430 (जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम) की प्रति मय नक्शा पेश की है।

e) इसी प्रकार याची सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम पंचायत, शिकारपुरा का रिकॉर्ड गुम हो जाने के संबंध में पंचायत द्वारा पुलिस में प्रस्तुत गुमशुदगी रिपोर्ट दिनांक 24.07.2019 को प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु किया गया पत्राचार के अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी पेश की है, जो वर्ष 2003–04 से वर्ष 2009–10 तक का पट्टों से संबंधित समस्त रिकॉर्ड गुम हो जाने से संबंधित है।

8. निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत शिकारपुरा (वर्तमान कांकाणी) ने राजस्थान पंचायतीराज नियम 167(1) के तहत पट्टा सं. 92 (5000 वर्गफुट), पट्टा सं. 93 (5000 वर्गफुट) एवं पट्टा सं. 94 (5000

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

वर्गफुट) नियमों के विपरीत जारी किये गये है। पट्टा जारी करने से पहले विहित प्रकिया नहीं अपनाई गई है। अखबारों में सूचना का प्रकाशन नहीं किया गया। खसरा सं. 794 आबादी का हिस्सा नहीं था तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं था। ख.नं. 794 गै.मु. मगरा की भूमि है, जो जोधपुर विकास प्राधिकारण के नाम दर्ज है तथा जिला कलक्टर के आदेश से संभावित खनिज क्षेत्र के रूप में आरक्षित रखी हुई है। इस प्रकार राजकीय सिवायचक भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जारी किये गये पट्टे बिना क्षेत्राधिकार के होने से निरस्त योग्य है। इन पट्टो को जारी करने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में कोई निर्णय/संकल्प पारित नहीं किया गया है तथा न ही ग्रामवासियों से आपत्तियां प्राप्त की है। सरपंच द्वारा अपने चहेते लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से फर्जी पट्टे जारी किये है तथा गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। पूर्व में भी निगरानी सं. 40/2019 में पट्टा खारिज किया गया है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टों से संबंधित रिकॉर्ड था ही नहीं, इसलिए ग्राम पंचायत ने रिकॉर्ड गुम होने की झूठी गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना लूणी में दर्ज करायी।

अतः ग्राम पंचायत से संबंधित पट्टों का रिकॉर्ड तलब किया जाकर, बाद जांच पट्टा सं. 92, 93, 94 दिनांक 07.11.1999 को निरस्त किया जावे।

9. निगरानी के साथ पट्टे की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, प्रमाणित प्रति पेश करने से छूट देने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, जो प्रकरण के तथ्यों एवं विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रत्यर्थीगण की ओर से किसी ने भी बहस में भाग नहीं लिया। अतः प्रकरण का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर मेरिट पर किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

11. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री भंवर सिंह तापू ने निगरानी मीमोज में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि तीनों निगरानियों की विवादास्पद अंतर्वस्तु समान है। अतः तीनों निगरानियों में समान बहस को ग्रहण किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि तीनों पट्टे 100 फीट गुणा 50 फीट के भूखण्डों के जारी किये गये है, जो 5000 वर्गफीट अर्थात् 555.55 वर्गगज की भूमि के सरकारी भूमि ख.नं. 794 में ग्राम पंचायत ने बिना क्षेत्राधिकार के जारी किये है, जो पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत व उल्लंघन में जारी किये है। पट्टे के पृष्ठ 2 में कुल मिजान 1250 वर्गफीट लिखा है, जो विरोधाभाषी व भ्रमित करने हेतु लिखा गया है। ख.नं. 794 गै.मु. मगरा सरकारी सिवायचक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भूमि है, जो अब जेडीए, जोधपुर को हस्तांतरित की गई है। ग्राम पंचायत में इन पट्टों से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत ने पत्र दिनांक 11.08.2025 से इस न्यायालय को सूचित कर कथन किया है कि इन तीनों पट्टा सं. 92, 93 व 94 दिनांक 07.11.1999 से संबंधित कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध ही नहीं है। ग्राम पंचायत ने अपने कुकृत्य छुपाने के लिए एक झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना में दिनांक 24.07.2019 को दर्ज कराई है, जिसकी प्रति पेश की है।

ग्राम पंचायत ने 555.55 वर्गगज भूमि का पट्टा 200 रूपये प्राप्त करके जारी करना बताया है, जो गलत है। पट्टाधारी ने भी उपस्थित होकर पट्टे का रिकॉर्ड व मूल पट्टा पेश नहीं किया है। तीनों पट्टाधारी सगे भाई है तथा तीनों को 15000 पन्द्रह हजार वर्गफीट भूमि का फर्जी पट्टा जारी किया है। अतः अवैध पट्टों को अपास्त किया जावे। अवैध व बिना क्षेत्राधिकार के जारी पट्टों को निगरानी में कभी भी निरस्त किये जा सकते है। पट्टों की प्रतियां पंचायत समिति लूणी में भी उपलब्ध नहीं है।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

13. (a)निगरानीधीन पट्टों का अभिलेख ग्राम पंचायत शिकारपुरा/कांकाणी से तलब करने पर ग्राम पंचायत ने पत्रांक 116, 117 व 118 दिनांक 11.08.2025 से इस न्यायालय को सूचित किया कि मिसल सं. 78/99–2000, 79/99–2000 व 80/99–2000 पट्टा दिनांक 07.11.1999 से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध ही नहीं है। याची द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा सन् 2003–04 से 2009–10 तक का पट्टों का रिकॉर्ड गुम होने की पंचायत द्वारा पुलिस थाना लूणी में दर्ज रिपोर्ट दिनांक 24.07.2019 की फोटो प्रति पेश की है, जो हस्तगत प्रकरणों में याची की कोई मदद नहीं करती है क्योंकि आक्षेपित तीनों पट्टें दिनांक 07.11.1999 को जारी होना आक्षेपित किया है। आक्षेपित पट्टे प्रारूप 23 में नियम 157 के तहत जारी किये है। नियम 157 के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितीकरण (a) 50 वर्षों से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रूपये शुल्क लेकर तथा (b) 50 वर्षों के दौरान बने मकानों हेतु 200 रूपये लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने हेतु नियम 145 से 167 तक में दी गई प्रकिया (यथा लागू) का अनुसरण किया जाना वांछित है। जिसमें इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन करना, ग्राम पंचायत की बैठक में मिसल दर्ज करने के साथ भू स्थल का 3 सदस्यों की कमेटी द्वारा मौका

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निरीक्षण करना एवं मौका का नाप–जोख करके नक्शा बनाना, ग्राम पंचायत द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना एवं नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में सार्वजनिक आपत्तियां कम से कम एक माह की अवधि का समय देते हुए आमंत्रित करना, आपत्तियों का निस्तारण करना, पुराने कब्जे के सबूत प्राप्त करना, प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र व दो पडौसियों के बयान लेना इत्यादि शामिल है। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत की बैठक में संकल्प पारित करके पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त सारी कार्यवाही को प्रकरण की पत्रावली की आदेशिका में सरपंच/सचिव द्वारा अभिलिखित की जाती है तथा ग्राम पंचायत की उक्त सारी बैठकों में पारित संकल्पों में निर्णय अंकित करना आज्ञात्मक है परंतु हस्तगत प्रकरणों में तो ग्राम पंचायत के कार्यालय में आक्षेपित पट्टों से संबंधित किसी प्रकार का अभिलेख ही उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त इन आक्षेपित पट्टों से संबंधित अभिलेख गुम हो जाने बाबत भी कोई अभिलेख इस न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया है। यहां यह उल्लेखित करना समीचीन है कि पट्टा बुक में प्रत्येक पट्टे को तीन प्रतियों में तैयार किया जाता है। प्रथम प्रति पट्टाधारी को दी जाती है, द्वितीय प्रति संबंधित पंचायत समिति में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा जमा कराई जाती है तथा पंचायत समिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टों की प्रतियों को एक किताब के रूप में सुरक्षित रखी जाती है, इसी प्रकार पट्टे की तृतीय प्रति ग्राम पंचायत में ही पट्टा बुक में अभिलेख के रूप सुरक्षित रहती है तथा ग्राम पंचायत जारी पट्टों का एक रजिस्टर (संपति) संधारित करती है।

(b) उक्त विधिक प्रावधानों की रोशनी में, हस्तगत निगरानी में आक्षेपित पट्टों का परीक्षण करने से निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर आक्षेपित पट्टे जारी ही नहीं किये है तथा प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार का अभिलेख ग्राम पंचायत शिकारपुरा में संधारित ही नहीं किया गया है, इसलिए रिकॉर्ड के अभाव में आक्षेपित पट्टों की वैधानिकता, सत्यता व औचित्यता का परीक्षण धारा 97 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायिक विनिश्चयों में यह प्रतिपादित किया है कि आक्षेपित पट्टों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आक्षेपित पट्टा निगरानी के माध्यम से खारिज किया जा सकता है तथा निगरानी को ग्रहण करने में कोई म्याद भी निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि जारी पट्टे प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है तथा कोई भी व्यक्ति जनहित में निगरानी ऐसे प्रकरणों में पेश कर सकता है–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

- 2000 AIR (Raj.) - Chiman lal VS Rajasthan State
- 2000 AIHC 2648 -Devi lal VS Rajasthan State
- 2000 AIHC 2574 -Kamlesh VS Rajasthan State
- (2009)4 CDR 1962 (Raj.) 1962 (DB) (Raj.) Bhiyaram VS Addl. Collector Barmer
- 1999 DNJ 672 -Narayan lal VS State
- (2018)3 RLW 2325-Ghewar Chand VS Rajasthan State
- SBCWP No. 8612/2008 (D/d 23.10.2008)
- SBCWP No. 9126/2016 (D/d 12.08.2016)
- SBCWP No. 8148/2012 (Shanti Devi VS State) (D/d 25.11.2016)
- 2013(1) WLC (Raj) 768 Para 8 (Nagarmal VS ADM Sikar)
- SBCWP No. 8211/2012 (Lokesh VS Panchayat Samiti Bhadesar) (D/d 03.02.2022)

(c)आक्षेपित पट्टा 555.55 वर्गगज की भूमि का मात्र 200 रूपये की राशि लेकर जारी करना बताया है तथा उसका भी ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जबकि नियम 157 के अंतर्गत 200 रूपये की राशि लेकर केवल 300 वर्गगज की भूमि पर पुराने निर्मित गृहों का ही विनियमितीकरण किया जा सकता है तथा तीनों पट्टे सगे भाईयों को जारी किये है, जिसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है।

(d)इसके अतिरिक्त यह भी आरोप लगाया है कि आक्षेपित पट्टा ग्राम कांकाणी के ख.नं. 794 किस्म गै.मु. मगरा की राजकीय सिवायचक भूमि है तथा यह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है तथा ग्राम पंचायत को सिर्फ ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय करने का क्षेत्राधिकार है तथा राजकीय सिवायचक भूमि को विक्रय करने का ग्राम पंचायत शिकारपुरा को कोई अधिकार ही नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी सिवायचक गै.मु. मगरा की भूमि पर जारी किये गये समस्त पट्टे प्रारंभतः अवैध व शून्य है, नियम 140/141 के अनुसार ग्राम पंचायत सिर्फ आबादी भूमि का ही विक्रय कर सकती है तथा ऐसे शून्य व गैर कानूनी पट्टा विलेख के आधार पर पट्टाधारियों को किसी भी प्रकार के मालिकाना हक, अधिकार, स्वत्व व आधिपत्य प्राप्त नहीं हो सकते तथा धारा 97 के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से या अन्यथा प्रार्थना पत्र पर, निगरानी के माध्यम से अवैध पट्टे/संकल्प कभी भी निरस्त किये जा सकते है। प्रत्यर्थी पट्टाधारियों ने इस न्यायालय

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में उपस्थित होकर गै.मु. मगरा की भूमि ख.नं. 794 में से पट्टे जारी करने के आरोप का खण्डन भी नहीं किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करके जारी किये गये है। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टों का नियमानुसार जारी करना संदेहात्मक है। अतः ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टों को निरस्त करना यह न्यायालय न्यायोचित समझता है।

आदेश

14. अतः उपर्युक्त विवेचना एवं निष्कर्षानुसार, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों पंचायत निगरानियां स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा
(अ)निगरानी सं. 165/2025 में आक्षेपित मिसल सं. 79/99–2000, संकल्प सं. 2 दिनांक 07.10.1999 में जारी पट्टा सं. 94 दिनांक 07.11.1999 पट्टा रजिस्टर सं. 35 नाप 5000 वर्गफुट बहक पुनाराम पुत्र हमीरराम देवासी निवासी कांकाणी को खारिज किया जाता है।
(ब)निगरानी सं. 166/2025 में आक्षेपित मिसल सं. 80/99–2000, संकल्प सं. 2 दिनांक 07.10.1999 में जारी पट्टा सं. 92 दिनांक 07.11.1999 पट्टा रजिस्टर सं. 35 नाप 5000 वर्गफुट बहक तेजाराम पुत्र हमीरराम देवासी निवासी कांकाणी को खारिज किया जाता है।
(ब)निगरानी सं. 167/2025 में आक्षेपित मिसल सं. 78/99–2000, संकल्प सं. 2 दिनांक 07.10.1999 में जारी पट्टा सं. 93 दिनांक 07.11.1999 पट्टा रजिस्टर सं. 35 नाप 5000 वर्गफुट बहक आदुराम पुत्र हमीरराम देवासी निवासी कांकाणी को खारिज किया जाता है।
15. निर्णय की प्रति सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर व ग्राम पंचायत कांकाणी/शिकारपुरा को भेजी जावे।
16. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
17. पत्रावली बाद तामिल एवं तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर